

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 09/23

तारीख दायर

1/3/23

- 1- केशर पुत्री नाथुलाल पत्नि शंभुलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा हाल निवास धाकड मोहल्ला सलावटिया तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
  - 2- किशनलाल पुत्र नाथुलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
  - 3- धापु पुत्री नाथुलाल पत्नि छीतरलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा हाल निवास छोटा नयागाव तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
  - 4- सरजु पत्नि स्व नाथुलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- घीसुलाल पुत्र भंवरलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 2- सुगनलाल पुत्र नारायण जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 3- ओमप्रकाश पुत्र देबीलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 4- मोहनलाल पुत्र नारायण जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 5- भू-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0

— विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक 1/3/23

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री केशर, किशनलाल, धापु, सरजु ने जरिये अभिभाषक श्री मनीष धाकड, गौरव शर्मा एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि ग्राम देरोली पटवार क्षेत्र उमा जी का खेडा, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 22 आराजी नंबर 196 रकबा 0.3076 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदो सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम देरोली पटवार क्षेत्र उमा जी का खेडा, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 22 आराजी नंबर 196 रकबा 0.3076 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- ०९/२३

तारीख दायर

प्रेषिति :-

१/३/२३

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... ०९/२३ ..... पत्थरगढी बाबत।

- 1- केशर पुत्री नाथुलाल पत्नि शंभुलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा हाल निवास धाकड मोहल्ला सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 2- किशनलाल पुत्र नाथुलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 3- धापु पुत्री नाथुलाल पत्नि छीतरलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा हाल निवास छोटा नयागाव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 4- सरजु पत्नि स्व नाथुलाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- घीसुलाल पुत्र भंवरलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
- 2- सुगनलाल पुत्र नारायण जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
- 3- ओमप्रकाश पुत्र देबीलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
- 4- मोहनलाल पुत्र नारायण जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी देरोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
- 5- भू-स्वामी माफत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम देरोली पटवार क्षेत्र उमा जी का खेडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 22 आराजी नंबर 196 रकबा 0.3076 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

९/८